

प्रेस नोट दिनांक-17.03.2025

थाना आंवला जनपद बरेली।

थाना आंवला #bareillypolice द्वारा थाना आंवला पर पंजीकृत मु0अ0स0 137/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(2) BNS से संबंधित एक अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस के साथ किया गया गिरफ्तार।

आवेदक श्री सौरभ सिंह पुत्र श्री गवेन्द्र पाल सिंह निवासी ग्राम उरला थाना आंवला जनपद बरेली ने दिनांक 15.03.2025 को थाना आकर लिखित सूचना दी कि दिनांक 14.03.2025 को समय शाम 8.00 बजे वह अपने पिता गवेन्द्र पाल सिंह तथा सतीश सिंह पुत्र कलद्वार सिंह के साथ ग्राम के सुरेशपाल सिंह के यहाँ होली मिलने गये थे। होली मिलकर समय करीब 8.30 बजे रात्रि को वापस घर आ रहे थे तभी गांव के गजराम सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह आदि ने पुरानी रंजिश के चलते जान से मारने की नियत से असलहे से हम लोगों के ऊपर फायर किया, जिससे आवेदक के पिता गवेन्द्रपाल सिंह के सीने में गोली लगकर घायल हो गये तथा गजराम उपरोक्त जान से मारने की धमकी देते असलाह लहराते हुए भाग गये। आवेदक के पिता गवेन्द्रपाल सिंह का इलाज बरेली अस्पताल में चल रहा है। उक्त सूचना पर थाना आंवला पर तत्काल मु0अ0स0 137/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(2) बीएनएस विरुद्ध गजराम पुत्र सत्यपाल सिंह आदि के पंजीकृत किया गया।



अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक आंवला के नेतृत्व में थाना आंवला पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.03.2025 को मुखबिर की सूचना पर ग्राम उरला रोड पर अलीगंज चौराहे से अभियुक्त गजराज सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह नि0ग्राम उरला थाना आंवला बरेली उम्र 30 वर्ष संबंधित मु0अ0स0 137/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(2) बीएनएस को घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25/27 आयुध एक्ट की बढ़ोतरी की गयी। उक्त घटना के संबंध में मौके पर शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत सतर्क दृष्टि रखी जा रही है तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु तलाश की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

गजराज सिंह पुत्र सत्यपाल सिंह नि0ग्राम उरला थाना आंवला बरेली उम्र 30 वर्ष

अभियुक्त फईम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0स0 137/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/351(2) बीएनएस व 3/25/27 आयुध एक्ट

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक -

स्थान- ग्राम उरला रोड अलीगंज चौराहा , दिनांक 17.03.2025 दिन

बरामदगी -

घटना में प्रयुक्त एक तमंचा 315 बोर

एक खोखा व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर।

पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री ओमपाल सिंह थाना आंवला जनपद बरेली।
2. उ0नि0 श्री नितेश शर्मा थाना आंवला जनपद बरेली।
3. हे0का0 103 विनोद कुमार थाना आंवला जनपद बरेली।
4. हे0का0 963 शमशेर अली थाना आंवला जनपद बरेली।
5. हे0का0 1089 श्याम सिंह थाना आंवला जनपद बरेली।
6. का0 3404 कपिल कुमार थाना आंवला जनपद बरेली।